

उच्च अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी
1. रामरख शर्मा पुत्र भौरया उर्फ
भैरुराम (फोट)
1/1 राधेश्याम
1/2 सुरेश
1/3 महेश
1/4 घनश्याम पुत्रान स्व. रामरख
1/5 मनफूली पत्नि स्व. रामरख
1/6 सावित्री पुत्री रामरख
जाति हरि. ब्राहमण निवासी ग्राम
टेकचन्दपुरा तह. बस्सी।

बनाम

प्रतिवादी

1. नरेश कुमार पुत्र गोविन्दा
2. मु. धापा देवी बेवा गोविन्दा
जाति हरि. ब्राहमण निवासी ग्राम टेकचन्दपुरा
तह. बस्सी।
3. मु. शिवानी बेवा स्व. कमलेश
4. अक्षय
5. विजय पुत्रान स्व. कमलेश नाबालिग जरिये
माता स्वयं मु. शिवानी बेवा स्व. कमलेश
जाति हरि. ब्राहमण समस्त निवासी ग्राम
टेकचन्दपुरा तह. बस्सी हाल निवासी ग्राम
खाचरोद तह. बस्सी जिला रतलाम राज्य
मध्यप्रदेश।
6. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी।
7. उपपंजियक बस्सी।
8. ग्राम पंचायत राजपुरा पातलवास जरिये
सरपंच तह. बस्सी।

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा


मुकदमा नम्बर 449/08

निर्णय दिनांक 24.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट राजपुरा पातलवास में पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा पातलवास ने की है। तहसीलदार बस्सी से कुरैजात व नक्शे प्राप्त हुए जो शामिल मिसल है। पक्षकारान को तहसीलदार बस्सी से प्राप्त कुरैजात व नक्शे पर सुना गया। वादी व प्रतिवादी द्वारा उक्त कुरैजात व नक्शे के संबंध में अपनी सहमति प्रकट कर कुरैजात अनुसार दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया। उपस्थित मौतबिरान से वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी ली गयी।

पत्रावली का अवलोकन व पक्षकारान द्वारा कुरैजात पर सहमति जाहिर करने एवं उपस्थित मौतबिरान से उक्त वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने तथा लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ख. नं. 49 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख.नं. 91 रकबा 17 बिस्वा, ख.नं. 126 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा स्थित ग्राम टेकचन्दपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 49/1, 91/1, 126/1 कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि खातेदार नरेश कुमार पुत्र गोविन्दा हि. 1/3 धापा पत्नि गोविन्दा हि. 1/3 अक्षय, विजय पि. कमलेश(ना.बा.) संरक्षिका माता शिवानी व शिवानी पत्नि कमलेश हि. 1/3 जाति हरि. ब्राहमण सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 49, 91, 126 कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि खातेदार राधेश्याम, सुरेश, महेश, घनश्याम पि. रामरख, मनफूली पत्नि रामरख, सावित्री पुत्री रामरख हि. जाति हरि. ब्राहमण सा. देह के हिस्से में रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। कुरैजात व नक्शे बाद अनुमोदन तहसीलदार बस्सी को भेजा जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो। आज दिनांक 24.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट राजपुरा पातलवास में मजमे आम में सुना गया।

मजमे आम में सुना गया।


24.5.18
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

- वादी
1. रामरख शर्मा पुत्र भौरया उर्फ भैरुराम (फोट)
 - 1/1 राधेश्याम
 - 1/2 सुरेश
 - 1/3 महेश
 - 1/4 घनश्याम पुत्रान स्व. रामरख
 - 1/5 मनफूली पत्नि स्व. रामरख
 - 1/6 सावित्री पुत्री रामरख जाति हरि. ब्राहमण निवासी ग्राम टेकचन्दपुरा तह. बस्सी।

बनाम

- प्रतिवादी
1. नरेश कुमार पुत्र गोविन्दा
 2. मु. धापा देवी बेवा गोविन्दा जाति हरि. ब्राहमण निवासी ग्राम टेकचन्दपुरा तह. बस्सी।
 3. मु. शिवानी बेवा स्व. कमलेश
 4. अक्षय
 5. विजय पुत्रान स्व. कमलेश नाबालिग जरिये माता स्वयं मु. शिवानी बेवा स्व. कमलेश जाति हरि. ब्राहमण समस्त निवासी ग्राम टेकचन्दपुरा तह. बस्सी हाल निवासी ग्राम खाचरोद तह. बस्सी जिला रतलाम राज्य मध्यप्रदेश।
 6. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी।
 7. उपपंजियक बस्सी।
 8. ग्राम पंचायत राजपुरा पातलवास जरिये सरपंच तह. बस्सी।

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 24.05.2018

मुकदमा नम्बर 449/08

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ख. नं. 49 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख.नं. 91 रकबा 17 बिस्वा, ख.नं. 126 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा स्थित ग्राम टेकचन्दपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 49/1, 91/1, 126/1 कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि खातेदार नरेश कुमार पुत्र गोविन्दा हि. 1/3 धापा पत्नि गोविन्दा हि. 1/3 अक्षय, विजय पि. कमलेश(ना.बा.) संरक्षिका माता शिवानी व शिवानी पत्नि कमलेश हि. 1/3 जाति हरि. ब्राहमण सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 49, 91, 126 कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि खातेदार राधेश्याम, सुरेश, महेश, घनश्याम पि. रामरख, मनफूली पत्नि रामरख, सावित्री पुत्री रामरख हि. जाति हरि. ब्राहमण सा. देह के हिस्से में रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी.....को अदा करें।

सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।



दस्तख्त.....
ओहदा.....
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

मुकदमा	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी	
दावा			दावा	
स्टाम्प			स्टाम्प	

Contd--2

बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस			फीस		
कमिश्नर			कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्ली के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Smd
**सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिल्हालयपुर**

15
3-11
15-12
2/2
3/0
3-5
19-7
8-8
-12
3-
4/0
6-
-09
09
>
2-4-11-0
2-0
-10
1/10
-10
7/16
8-10
0/10